संख्या-531/2026/1127/22-2-2025-17(925)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल पुत्र श्री मोहर अली, निवासी जनपद-हरदोई की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल पुत्र श्री मोहर अली, ग्राम पडरी, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा मछली पकड़ने के विवाद को लेकर दिनांक 09.09.1982 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-713/1982 में धारा-302/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 27.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 13.05.2016 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 22.08.2024 तक अपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 08 दिन तथा 10 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 22.08.2024 तक 64 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी अब्दुल पुत्र श्री मोहर अली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 22.08.2024 तक अपरिहार 08 वर्ष, 03 माह 08 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल (बन्दी संख्या-28174) पुत्र श्री मोहर अली, निवासी जनपद-हरदोई की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 531/2026/1127(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।